बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा

नवादा – 805110

(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय)

आदेश

मुख्य सचिव बिहार, पटना के ज्ञापांक 9004/खा़द्य दिनांक 01.12.2015 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा इसं संबध में सारी तैयारियॉ पूरी करने का निदेश प्राप्त है। इस वर्ष इस जिले में धान की उत्पादकता अधिक होने के फलस्वरूप पंजीकृत किसानों से अधिक से अधिक अधिप्राप्ति किये जाने की विशेष व्यवस्था की जानी है। यह भी सुनिष्चित किया जाना है कि क्रय पंजीकृत किसानों से हो एवं व्यापारियों तथा बिचौलियों की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो। धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकरण अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के अंतर्गत होना है। पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केंद्र होंगे। पैक्स तथा व्यापार मंडल अधिप्राप्त धान का मिलिंग कराकर केवल तैयार सी0एम0आर0 नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम, नवादा के सी0एम0आर संग्रहण केंद्र पर जमा करेंगें। पैक्स/व्यापर मंडल के क्रय केंद्रो पर अधिप्राप्त धान का मिलिंग बिहार राज्य खाद्य निगम (नोडल एजंसी) द्वारा आनलाईन पंजीकृत/एकरारनामित मिल (गैर प्रमादी) के माध्यम से कराया जायेगा। संभव है कि जिले में मिलरों की संख्या एवं उनकी कुटाई की क्षमता अधिप्राप्त धान के परिपेक्ष्य में समानुपातिक रूप से कम हो, वैसी स्थिति में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, नवादा मिलरों की मिलिंग क्षमता एवं अधिप्राप्त धान का आकलन कर जिला टास्क फोर्स की बैठक में रखेंगें तथा बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से क्षमता से अतिरिक्त धान की कुटाई हेतु अग्रिम सी0एम0आर0 व्यवस्था के तहत धान उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्राप्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भांति भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य धान साधारण 1470/– रू0 धान ग्रेड ''ए'' 1510/– रू0 प्रति क्वी0 निर्धारित किया गया है। खेती करने वाले/बटाईदार किसानों से धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01 दिसम्बर 2016 से 31.03.2017 तक प्रभावी रहेगा तथा सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्यक्रम दिनांक 31.07.2017 तक प्रभावी रहेगा।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकरण अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।

- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 पैक्स/व्यापर मंडल द्वारा पंजीकृत गैर प्रमादी मिलर के माध्यम से तैयार कराकर तथा उसकी गुणवता की जांचोपरांत प्राप्त किया जाएगा एवं उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किया जायेगा।

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त है। इस जिले में जिला स्तर पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा इस कार्य हेतु नोडल पदधिकारी रहेंगे।

- किसानों से धान क्रय की कार्रवाई पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केंद्र के माध्यम से किया जाना है।

- गत वर्ष की भांति पैक्स/व्यापर मंडल अधिक प्रभावी रूप से धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम, नवादा द्वारा पंजीकृत (गैर प्रमादी) एवं पैक्स संचालित मिल जो जिला टास्क फोर्स

द्वारा अनुमोदित हो, से ही क्रय धान का शत प्रतिशत मिलिंग कराकर केवल सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केंद्र में जमा करेंगी।

- पैक्स/व्यापार मंडल चयनित एवं एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारंटी के रूप में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्त धान मिलों को उपलब्ध करायेंगे। पुनः धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जायगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलरों के पास न रहे एवं पूववर्ती समय में आयी समस्या उत्पन्न न हो।

- जो किसान अपनी जमीन पर खेती करते है वैसे किसानों के ऑनलाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर ही आवेदन प्राप्त की जानी है एवं वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भुमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑनलाईन पंजीकरण करा सकते है। ऐसे किसानों के आवेदन का सत्यापन हेतु जिला स्तर/प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर पर अथवा वसुधा केन्द्रों के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ऑन लाईन पंजीकरण की व्यवस्था सुनिष्चित की जायगी ताकि किसी भी प्रकार की फर्जीवारा न हो।

- किसानों से धान का क्रय हेतु संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम् सीमा 150 (एक सौ पचास) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पायें।

- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑनलाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 50 क्वींटल धान की अधिप्राप्ति की जाएगी।

- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानेां से धान क्रय किया जायेगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा, जिसका स्क्रीनिंग कराकर वेबसाईट पर अपलोड होगा। छुटे हुए किसानों अथवा संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केंद्रों/प्रखंड के माध्यम भी किया जायेगा,जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित एंव सहकारिता विभाग के पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर क्रय केंद्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कर Authenticate करेंगे।

- जिले में गठित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल धान क्रय केंद्र हेतु क्रियाशील रहेंगे। तकनीकी अथवा वैधानिक करणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगे, ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।

- पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से क्रय के 48 घंटो के अंदर भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी पिरस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य भुगतान हेतु बकाया नही रखा जायेगा।

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य सी0एम0आर0 जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय धान के विरूद्ध RTGS/NEFT के माध्यम से किये गये भुगतान के

साक्ष्य(Advice) के आधार पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान किया जायेगा।

- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य विभागीय निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से संपन्न होगा एवं दैनिक प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम, नवादा एवं अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा प्राप्त प्रतिवेदन का मिलान कर समेकित प्रतिवेदन ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभाक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

- नोडल एजेंसी के रूप मे राज्य खाद्य निगम, नवादा अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से धान क्रय, भुगतान एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी।

- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा यह सुनिश्चित करेंगे कि सी0एम0आर0 की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके।

3. लक्ष्य का निर्धारण

जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा के अनुसार इस जिले में खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में धान का उत्पादन लगभग 5.14 लाख मे0 टन होने की संभावना है। कृषि विभाग के अनुमानानुसार धान की अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य को लक्ष्य की अंतिम सीमा नही माना जाए एवं राज्य के किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित धान की अधिप्राप्ति की जाय।

बतौर नोडल एजेंसी राज्य खाद्य निगम, नवादा का पैक्स/व्यापार मंडल से सिर्फ सी0एम0आर0 प्राप्त करने का दायित्व होगा। पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केद्रो पर ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से ही धान क्रय करने की व्यवस्था रहेगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा निर्धारित धान के लक्ष्य के विरूद्ध क्रय धान के समतुल्य सी0एम0आर0 की आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में की जायेगी। राज्य खाद्य निगम इस वर्ष अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केंद्रों की स्थापना करेगी,ताकि पैक्सों को सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई न हों । इस कार्य हेतु निगम के पास उपलब्ध गोदामों पर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति जिला प्रबंधक द्वारा की जायेगी।

पैक्सवार/व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रखण्ड एवं पंचायतवार धान उत्पादन की वास्तविक आंकड़े को ध्यान में रखेंगें कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति उत्पादन सीमा से अधिक नही होनी चाहिए।

4. क्रय केंद्रों का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अंतर्गत किसानों से धान हेतु क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा एक–एक क्रय केंद्र की स्थापना की जायेगी। मूल रूप से क्रय केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा की है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि संचालित सभी क्रय केद्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई हैः–

- क्रय केंद्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक सथानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन ।

- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण।
- क्रय केंद्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था।
- Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration ।
- Blower/Drier की व्यवस्था।
- प्रतिदिन ऑनलाईन पंजीकृत किसनों की सूची जिले के वेबसाईट/पैक्स/व्यापारमंडलों के क्रय केंद्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- मापदंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
- केद्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से अविलंब (48 घंटों के अंदर) भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम सी0एम0आर0 गोदाम में स्वयं अथवा प्रधिकृत के समक्ष सी0एम0आर0 की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगें।
- पैक्स एवं निगम क्रय केंद्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/Ms-Excel,Kurti Dev 010 के माध्यम से जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था।
- अधिप्राप्ति अवधि समाप्त होते ही (31.03.17) को सभी क्रय केद्र–पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केंद्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी, क्रय केद्र से ही अपलोड करायेंगे एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम दस दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनोपरांत, सहकारिता विभाग, निगम एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केंद्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को धान प्राप्ति के उपरांत प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे।
- जिले में उपर्युक्त तैयारियों के साथ 01 दिसम्बर 2016 से धान अधिप्राप्ति/क्रय केंद्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाय इसे जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा/ जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नवादा सुनिष्चित करेंगे।

5. **भंडारण की व्यवस्था**

अधिप्राप्ति धान भंडारण हेतु प्रयुक्त सभी पैक्स/व्यापार मंडल गोदाम एवं सभी सी0एम0आर0 गोदाम अधिसूचित किए जायेंगे। सभी अधिसूचित गोदामों का सॉफ्टवेयर पर सूची दर्ज रहेगी तथा सभी गोदाम का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदाम का Mapping (अक्षांष/देशांतर) भी सूची में अंकित रहेगा ताकि गोदाम के सही Location की पहचान आसानी से हो सके ।

जिलों में पैक्स/व्यापारमंडल क्रय केद्र एवं उसके साथ संबद्ध गोदामों/बिहार राज्य भंडार निगम/ बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध गोदामों को धान अधिप्राप्ति के लिए प्रयोग में लाने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा गोदामों को अधिसूचित कराना सुनिश्चित करेंगे।

धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील सभी एजेंसीज के सभी गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगीः–

- निर्धारित मापदंड के अनुरूप गुणवता जॉच की व्यवस्था एवं ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता ।
- निर्धारित मापदंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
- निर्धारित मापदंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
- घेराबंदी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो ।
- कैंप कार्यालय की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी(लाईटिंग) की व्यवस्था ।
- अग्नि शामक यंत्र की व्यवस्था ।
- सुरक्षा की व्यवस्था।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता ।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- प्रतिदिन Procurement Software पर ऑनलाईन/निर्धारित प्रपत्र में Ms-Excel,Kurti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय/सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।

6. **मिलिंग की व्यवस्था**

पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा शत प्रतिशत अधिप्राप्ति को निगम द्वारा चयनित पंजीकृत/एकरारनामित गैर प्रमादी मिल के माध्यम से मिलिंग कराकर अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर सी0एम0आर0 उपलब्ध कराया जायेगा। मिलिंग हेतु मिलरों को धान की आपूर्ति मिलरों से प्राप्त सी0एम0आर0 के अनुरूप हो, यह जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सुनिष्चित करेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलरों को नही दी जायेगी ।

- मिलरों से अधिप्राप्त धान के परिपेक्ष्य में सी0एम0आर0 की गुणवत्ता, भंडारण एवं प्रबंधन की जांच समस–समय पर करायी जायेगी।

इसके अलावा मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी हैः–

- वैसे प्रमादी मिलर जो गत वर्षो में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे है, वे अवशेष सी0एम0आर0 के समतुल्य राशि सभी प्रकार देयता सहित निगम खाता में जमा कर देते है तो खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु सत्यापनोपरांत एकरारनामा के पात्र होंगे ।

- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनित वरीय उपसमाहर्त्ता/जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों के भौतिक सत्यापन के क्रम में मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम में निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति तथा अद्यतन बिजली बिल का भुगतान एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र,विगत दो वर्षो का आयकर रिर्टन एवं अद्यतन प्रमाण पत्र VAT No.,SSI Registararion No., EPF Registration No., PAN No., मिलरों का अंकेक्षित अद्यतन लेखा विवरणी, वैसे सभी वांछित अभिलेख जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित मिलरों के विरूद्ध कोई Legal Obligation न हो,अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के संप्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जॉच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता का व्यवहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम मे विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं की जाय। संयुक्त जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि चयनित मिलों का फोटोग्राफ एवं Mapping (अक्षांष/देशांतर) भी उपलब्ध रहे। तत्पश्चात् जिला टास्क फोर्स द्वारा मिलरों का चयन किया जाएगा।

- पैक्स/व्यापार मंडल,राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजीकृत मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा समर्पित बैंक ड्राफ्ट/Bank Guarantee के अनुरूप/अनुपात तथा संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त होने के पष्चात अधिप्राप्त धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय साथ ही साथ भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

- सभी संबद्ध पैक्स संचालक को उनके संबंद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारी का मोबाईल नं0 उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला प्रबंधक की होगी।

- प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता / भंडारण से अधिक धान अनावश्यक रूप में मिल नही पहॅुचाया जाय ।

- पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति में प्राप्त धान को संबद्ध मिलरों के भेजी गयी धान की मात्रा से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण को उपलब्ध कराया जाना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिष्चित करायेंगे।

- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी/सहकारिता विभाग के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजे ।

- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 पहॅुचाने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था वाहन क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल की होगी, जो यह सुनिश्चित करेगें कि

पैक्स/व्यापरमंडल से संबंद्ध मिलरों की दूरी के अनुरूप परिवहन क्षमता की व्यवस्था हो। जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे सुनिष्चित करायेंगे।

- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम नवादा इसे सुनिष्चित करायेंगे।

- कैंप ऑफिस में संधारित होने वाले पंजियों की व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन कम्प्युटर के Ms-Excel,Kurti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड/अनुमंडल कम्प्युटर केंद्र में भेजने की व्यवस्था ।

- सभी एकरारनामित मिल अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर से संबंद्ध रहेगें ।

7. <u>धान क्रय केंद्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले काजगात</u>

- भूमि संबंधी दस्तावेज– अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल गुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड–इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केंद्र को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित हो कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। अचलाधिकारी लगान रसीद पर खाता सं0 के साथ–साथ खेसरा संख्या एवं रकबा शब्दों में भी दर्ज करने का निदेष सभी हल्का कर्मचारियों को देंगे। किसनों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑनलाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक,सहयोग समितियां एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिष्चित करेंगे।

- प्हचान पत्र के रूप में किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज–इनमें से कोई एक अनिवार्य होगा।

- अगर किसान दुसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो तो ऑनलाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक काजजात निम्नवत होगेः– (1) अपना फोटो (2) पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) (3) बैंक पासबुक (4) धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रर्युक्त भूमि का रकवा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व–घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहाकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।

- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा।

- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अंतर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाय। साथ ही किसानों से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

- पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर विहित प्रपत्र से निर्गत Acceptance Order के आधार पर ही किया जायेगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे सुनिष्चित करायेंगे।

8. भुगतान की व्यवस्था

पैक्सों/व्यापार मंडल द्वारा यह सुनिश्चित की जायगी कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किय गये धान का भुगतान अविलंब RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित क्रय केंद्र पर ही तत्काल (48 घंटों के अंदर) कर दिया जाना है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- पैक्स/व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केंद्र पर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिनियुक्त किया जाए । जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे सुनिष्चित करायेंगे।

- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध हो। प्रबंध निदेषक, सेंट्रल कोपरेटिव बैंक, नवादा सी0सी0 लिमिट के द्वारा इसे सुनिष्चित करेंगे।

- पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरंत बाद किया जाना है एवं किसी भी किसानों का भुगतान लंबित नही रखा जायगा एवं भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी प्रबंध निदेषक, सेंट्रल कोपरेटिव बैंक, नवादा की होगी ।

- पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा द्वारा उनसे प्राप्त एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति,सत्यापित बैंक एडभाईस, प्रखंड सहकरिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण–पत्र धान/सी0एम0आर0 संबंधित आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत् जांचोपरांत RTGS/NEFT के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

9. जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्थाः–

- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अंतर्गत जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु प्रभारी अपर समाहर्त्ता, नवादा श्री धीरेन्द्र कुमार झा की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाती है।

- श्री नन्द किशोर चौधरी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नवादा वरीय उपसमाहर्त्ता अधिप्रप्ति के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्य हेतु उन्हें अधिकृत किया जाता है।

- प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है।
- जिले में पदस्थापित दोनो अनुमंडल पदाधिकारी, अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत धान अधिप्राप्ति की प्रतिदिन पूर्ण समीक्षा करेगें तथा प्रतिवेदन M.S-Excel , Kruti Dev, 010 में जिला पदाधिकारी, नवादा को भेजगें। अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता क्षेत्र का लगातार भ्रमण करेगें तथा किसानो से पूछ ताछ करेंगे कि उनके द्वारा धान बेचने में कोई कठिनाई तो नही हो रही है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की राषि धान बेचते समय ही किसानों को धान के विरूद्ध पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र से R.T.G.S./NEFT के माध्यम से मिल रहा है, या नहीं तथा इस आषय का SMS उन्हें प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। साथ ही क्रय केन्द्रो का भ्रमण कर यह सुनिष्चित करेंगे कि बिचौलिये तो कार्य नही कर रहे है।

- प्रत्येक प्रखंड मे अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण /प्रयवेक्षण हेतु जिले में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इनके सहयोग हेतु संबधित प्रखंड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवं अचंल अधिकारी, को भी प्रतिनियुक्त किया जाता है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, यह सुनिष्चित करेंगे कि किसानो से निर्धारित क्रय केन्द्रो पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जा रहा है और बिचौलियों द्वारा नही किया जा रहा है तथा किसानो को धान

बेचने में कोई परेशानी नही हो रही है ताकि किसानो के समक्ष आपात बिक्री (Distress sale) की स्थिति उत्पन्न नही हो सके। पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति संबधी विवरणी **परिशिष्ट** –I पर द्रष्टव्य है।

- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम नवादा इसे सुनिष्चित करायेंगे। मिल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की विवरणी **परिशिष्ट** –II पर द्रष्टव्य है। सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की विवरणी **परिशिष्ट** –III पर द्रष्टव्य है।

- जहॉ का पैक्स किसी कारणवष अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम नही है वहॉ जिला सहकारिता पदाधिकारी,उसे बगल के क्रियाशील पैक्स के साथ Tag करेगें तथा आवश्यकतानुसार CC Limit भी बढाने की कार्रवाई करेंगे ।

10. अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका –

पुलिस अधीक्षक, नवादा सभी क्रय केन्द्रों/सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर चौकीदारों/गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिष्चित करायेंगे। वे सभी थानाध्यक्ष को निदेशित करेंगे कि वे नियमित अधिप्राप्ति केन्द्रों का भ्रमण कर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था/वाहन संचालन को सुनिश्चित करें।

11. अधिप्राप्ति कार्य में राज्य खाद्य निगम/पैक्सों/व्यापार मंडलों की भूमिका–

- अनुमंडल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित सी0एम0आर0 संग्रहण केंद्र एवं अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केंद्र की स्थापना एवं उसे माह 1ली दिसम्बर 2016 से क्रियाशील करना। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा इसे सुनिष्चित करेंगे।

- पैक्सों/व्यापर मंडलों से अधिप्राप्त धान के विरूद्ध समानुपातिक सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केद्र पर प्राप्त करना।

- प्रतिदिन पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये धान एवं मिलों मे मिलिंग कराये गये चावल से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के अवलोकनोपरांत विभाग को भेजना। जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा इसे सुनिष्चित करेंगे।

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा इसे सुनिष्चित करेंगे।

- किसानों के द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों के क्रय केंद्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुॅचाने तथा मिल से सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक पहुॅचाने की जिम्मेदारी पैक्सों /व्यापार मंडलों की होगी। इसके लिए पैक्सों/ व्यापार मंडलों द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं न्यूनतम् मजदूरी के दर पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पैक्सों/व्यापार मंडलों की ही होगी।

- पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 जमा करने के पूर्व जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नवादा से विहित प्रपत्र में Acceptance Order प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा। सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी जिला प्रबंधक कार्यालय से निर्गत Acceptance Order के आधार पर ही पैक्स/व्यापार मंडल से सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगे।

- धान अधिप्राप्ति के समापन की सतत् समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समयसीमा में प्राप्त करना होगा। खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के समापन के उपरांत गोदाम का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। इस आषय की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा अपने स्तर से सभी पैक्सों/व्यापार मंडलों को देंगे।

12. अधिप्राप्ति कार्य में जिला सहकारिता पदाधिकारी की भूमिका

- पैक्सों/ व्यापार मंडलों को आवष्यक प्रषिक्षण प्रदान करना।

- यदि पैक्स/ व्यापार मंडलों के स्तर पर किसानों से धान ससमय नही लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं निर्धारित समय–सीमा के अंदर धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किया जाएगा।

- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 अंतर्गत सिर्फ अंकेक्षित पैक्स/व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।

- चूंकि किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण का दायित्व सहकारिता विभाग को सौपा गया है। इसलिए पंजीकृत किसानों का डाटा राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग को प्रतिदिन उक्त डाटाबेस की सॉफ्ट कॉपी सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस डाटाबेस के आधार पर ही जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पैक्स/व्यापर मंडलों से प्राप्त किये गये सी0एम0आर0 के विरूद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की करेगा।

- सभी पैक्स/ व्यापार मंडल धान की अधिप्राप्ति के पश्चात् चेकलिस्ट के अनुसार किसानों से वांछित कागजात प्राप्त कर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमा करेंगे, ताकि राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत Acceptance Order में Tagged सी0एम0आर0 गोदामों की विवरणी के अनुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 गोदामों में सी0एम0आर0 जमा हो। Online Acceptance Order प्राप्त होने के पश्चात ही पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगीं।

- किसानों का सभी डाटाबेस Unicode में एंव अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए ताकि किसानों को असुविधा नही हो।

- पैक्स एवं व्यापार मंडल वायदा आधारित धान का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही करेंगें। जिला सहकारिता पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पैक्सों/ व्यापार मंडल को नकद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलंब उपलब्ध हो जाय।

- पैक्सों/व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से नित्य दिन क्रय किये गये धान के आंकड़े से भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम/सहकारिता विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को जिलास्तर से ऑनलाईन मोबाईल एप्स के द्वारा अवगत कराऐंगें, जिसमें किसानों की संख्या,धान की मात्रा का प्रखण्डवार विवरणी उल्लिखित हो।

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन करना।

- गत वर्ष में अक्रियाशील वैसे पैक्सों/व्यापार मंडलों जो किसी कारणवश अधिप्रापित कार्य में भाग नही ले पाये को खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधि सम्मत कार्रवाई करना ताकि सभी पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का केंद्र क्रियाशील हो सके।

- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा लक्ष्यांकित कुल धान को एकरारनामित मिल में कुटाई (मिलिंग) कराके निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 केंद्र पर क्रय धान के समतुल्य सिर्फ सी0एम0आर0 उपलब्ध करायेंगे।

- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केंद्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जाचं प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान की गई राशि पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केंद्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।

- पैक्सों/ व्यापार मंडल का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।

- पैक्स/व्यापार मंडल धान क्रय केंद्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहत प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी कराया जाएगा।

- धान अधिप्राप्ति कार्य, मिलिंग कार्य एवं सी0एम0आर0 हस्तगत कराने संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना। साथ ही मोबाईल एप्स के माध्यम से Online Access किया जाएगा।

- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्य से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ताकि किसानों को तत्काल RTGS/NEFT से ऑनलाईन भुगतान हो सके। वायदा आधारित धान अधिप्राप्ति पर पूर्णतः रोक लगाना।

- धान अधिप्राप्ति अवधि (31.03.17) समाप्त होने के दो दिनों के अदंर पैक्स व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति संबंधित अंतिम प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से सौंपेंगे तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक अधिकतम 10 दिनांक के अंदर संयुक्त हस्ताक्षरित अंतिम समेकित प्रतिवेदन अध्धेहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रहे कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।

13. **नियंत्रण–कक्ष** :– जिले के धान अधिप्राप्ति कार्य के सम्यक संचालन हेतु जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता, नवादा के प्रकोष्ठ में एक नियंत्रण–कक्ष का गठन किया जाता है, जिसके वरीय प्रभारी के रूप में अपर समाहर्त्ता, नवादा कार्य करेंगें। उनके कार्यालय का दूरभाष संख्या 06324–212261 है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा इस कार्य हेतु अपने स्तर से सहायकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा का दूरभाष संख्या 06324–213727 है।

14. विभिन्न अधिप्राप्ति केन्द्रों पर उपयोग किये जानेवाले प्रपत्र, पंजी इत्यादि जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, नवादा अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगें। साथ ही विभिन्न गोदामों/मिलों से होनेवाले Physical Transportation हेतु S.I.O. निर्गत करने की व्यवस्था जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, नवादा करेंगें। S.I.O. तथा R.T. Note पर संबंधित क्रय केन्द्र की सील अवश्य लगायी जायेगी, जिसमें अधिप्राप्ति वर्ष, क्रय केन्द्र का प्रकार एवं नाम अंकित रहेगा। अलग–अलग क्रय केन्द्र

के लिये पृथक सील की व्यवस्था जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, नवादा द्वारा की जायेगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों के अधिप्राप्ति केन्द्रों पर उपयोग में लायी जानेवाली पंजियों का पृष्ठ सत्यापन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा तथा सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति केंद्रों पर प्रयुक्त पंजियों का पृष्ठ सत्यापन जिला प्रबंधक करेंगें ।

15. दिनांक 31.03.2017 को अधिप्राप्ति से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी,नवादा एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम नवादा द्वारा संयुक्त रूप से अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जायेगा । जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा यह सुनिश्चित करायेंगे ।

चूकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यून्तम समर्थन मूल्य कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था किया जाय कि जिले के सभी पंजीकृत किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हे अपनी उपज की आपात बिक्री (Distrees Sale) की स्थिति का सामना नही करना पड़े। इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
नवादा।

ज्ञापांक– XV-08/2015/**885** खाद्य, नवादा, दिनांक 30 वीं नवम्बर 2016 ई0।

प्रतिलिपिः– सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय उपसमाहर्त्ता (अधिप्राप्ति) नवादा/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नवादा/सभी गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा/ प्रबंध निदेषक, सेंट्रल कोपरेटिव बैंक नवादा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नवादा जिला/सभी अंचल अधिकारी नवादा जिला/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कृषि पदाधिकारी नवादा/जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता नवादा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
नवादा।

परिशिष्ट– I

प्रत्येक प्रखड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी विवरणी ।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	नवादा	श्री राजेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा।	9473191258
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा।	9431818086
		अंचल अधिकारी, नवादा।	7250543707
2	वारिसलीगंज	श्री नंद किशोर चौधरी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा।	8544412359
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, वारिसलीगंज।	9431818085
		अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज।	8544412716
3	काशीचक	श्री सतीश कुमार झा,जिला पंचायती राज पदाधिकारी	9431406784
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक।	9973960920
		अंचल अधिकारी, काशीचक।	8544412711
4	पकरीबरावॉ	सुश्री मंजुषा चंद्रा वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा।	9431662566
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकरीबरावॉ।	9431818493
		अंचल अधिकारी, पकरीबरावॉ।	8544412715
5	कौआकोल	श्री कृष्ण मुरारी कार्यपालक पदा0 नगर परिषद नवादा।	7295091532
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल।	9431818492
		अंचल अधिकारी, कौआकोल।	8544412712
6	रोह	मो0 शिवगतुल्ला, वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा।	9334878850
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह।	9431818092
		अंचल अधिकारी, रोह।	9431445531
7	नारदीगंज	श्रीमती अनुपमा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा।	9471985947
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज।	9431818093
		अंचल अधिकारी, नारदीगंज।	9934667575
8	हिसुआ	श्री मुकेश रंजन, वरीय उपसमाहर्त्ता,नवादा	8084907450
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिसुआ।	9431818089
		अंचल अधिकारी, हिसुआ।	8544412710
9	मेसकौर	अखिलेश कुमार भूमि सुधार उप समाहर्त्त, रजौली।	9798493061
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेसकौर।	9431818094
		अंचल अधिकारी, मेसकौर।	8544412719
10	नरहट	श्री हरेन्द्र राम,जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नवादा।	9472980337
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट।	9431818090
		अंचल अधिकारी, नरहट।	9430266516
11	सिरदला	श्री शंभु शरण पांडेय अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली।	9473191259
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिरदला।	9308457086
		अंचल अधिकारी, सिरदला।	8544412723
12	रजौली	श्री आनंद प्रकाश, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रजौली।	9431023541
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौली।	9431818087
		अंचल अधिकारी, रजौली।	8987540087
13	गोविन्दपुर	श्री ब्रजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा।	9430458077
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर।	9431818091
		अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर।	9204156678
14	अकबरपुर	श्री धीरेन्द्र कुमार झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा	8544426128
		प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर।	9431818088
		अंचल अधिकारी, अकबरपुर।	9661639604

परिशिष्ट– II "ग"

राज्य खाद्य निगम द्वारा संचालित गोदामों (जहॉ कृषकों से सीधे धान अधिप्राप्ति की जायेगी) पर की गयी प्रतिनियुक्ति की विवरणी ।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	गोदाम का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5
1	नवादा	रा0खा0नि0 क्रय केन्द्र सुमन राईस मिल खरीदीविगहा परिसर	मो0 अबुकैश आजम, सहायक गोदाम प्रबंधक, नवादा सदर।	9576228330
2	हिसुआ	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम हिसुआ	श्री विनोद किशोर, सहायक गोदाम प्रबन्धक, हिसुआ।	9973120651
3	नारदीगंज	राज्य खाद्य निगम का गोदाम	शंभु नाथ तिवारी गोदाम प्रबन्धक, नारदीगंज।	9661930014
4	वारिसलीगंज	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम	श्री रामहित, सहायक गोदाम प्रबन्धक, वारिसलीगंज।	9771867242
5	काशीचक	रा0खा0नि0 वारिसलीगंज	श्री रामहित, सहायक गोदाम प्रबन्धक, वारिसलीगंज।	9771867242
6	पकरीबरावॉ	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम	श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक गोदाम प्रबंघक, पकरीबरावॉ।	8809153591
7	कौआकोल	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम	श्री सुरेश सिंह, सहायक गोदाम प्रबन्धक, वारिसलीगंज।	9386897327
8	रजौली	रा0खा0नि0 गोदाम, रजौली	श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहायक गोदाम प्रबन्धक, नवादा सदर।	9430803058
9	गोविन्दपुर	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम	मो0 अबुकैश आजम, सहायक गोदाम प्रबन्धक, अकबरपुर।	9576228330
10	अकबरपुर	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह सहायक गोदाम प्रबन्धक, अकबरपुर।	9852233967
11	रोह	रा0खा0नि0 क्रय केन्द्र नवादा राईस मिल नवादा परिसर	श्री विजय बहादुर सिंह सहायक गोदाम प्रबंघक, पकरीबरावॉ।	9431465500
12	सिरदला	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम	श्री विजय कान्त सिंह, सहायक गोदाम प्रबन्धक, हिसुआ।	9931306532
13	मेसकौर	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम हिसुआ	श्री विनोद किशोर, सहायक गोदाम प्रबन्धक, हिसुआ।	9973120651
14	नरहट	प्रखंड परिसर स्थित गोदाम नरहट	श्री कामता प्रसाद, सहायक गोदाम प्रबन्धक, हिसुआ।	7631279049

राईस मिलों के निरिक्षण हेतु प्रपत्र

1. प्रखण्ड का नाम–
2. मिल का नाम–
3. मिल मालिक का पूरा नाम एवं पता–
4. मिल की अवस्थिति (अक्षांष–देषांतर के साथ)–
5. मिल में अवस्थित गोदाम का भंडारण क्षमता–
6. राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रदत्त मिल का निबंधन सं0–
7. उद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति–
8. वैट सं0–
9. प्रदूषण प्रमाण पत्र सं0–
10. मिल में अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में मिलिंग क्षमता प्रति घंटे (फोटोग्राफ के साथ)–
11. बिजली बिल भुगतान की स्थिति–
12. आयकर रिटर्न–
13. SSI निबंधन सं0–
14. EPF निबंधन सं0–
15. पैन न0–
16. अंकेक्षण की स्थिति–
17. Legal Obligation यदि कोई हो–
18. पहूॅच पथ की स्थिति–
19. विद्युत संयोजन की स्थिति–
20. ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था–
21. मिल वर्तमान में चालू अवस्था में है अथवा नहीं –'
22. अभ्युक्ति–

परिशिष्ट – III

2

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, नवादा

वर्ष 2016–17 अर्न्तगत नवादा जिले मे कार्यरत सी0 एम0 आर0 गोदामो की विवरणी

कमांक	सी0 एम0 आर गोदाम का नाम	प्रभारी का नाम	गोदाम की भंडारण क्षमता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सी0 एम0 आर0 गोदाम, प्रखण्ड परिसर नवादा	श्री अबुकैश आजम	500 मे0 टन	
2	बीज निगम शोभिया, नवादा	श्री सुरेश सिंह	1200 मे0 टन	
3	सी0 एम0 आर0 पैक्स गोदाम, फतेहपुर	श्री युगल किशोर मिश्र	500 मे0 टन	
4	एस0 डब्ल्यू0 सी0 गोदाम शोभिया, नवादा	श्री संजीत कुमार चौधरी	1700 मे0 टन	

29/11/16

जिला प्रबंधक,

रा0 खा0 नि0 नवादा

कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा ।

खरीफ विपणन मौसम 2016–17 धान अधिप्राप्ति चयनित पैक्स/व्यापार मंडल ने अवस्थित सरकारी गोदाम का विवरण ।

क0 सं0	प्रखंड का नाम	पैक्स/पंचायत का नाम/पता	पैक्स अध्यक्ष का नाम/मोबाईल नं0		पैक्स सरकारी गोदाम का विवरण	गोदाम का भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4		6	7	8
1	मेसकौर	रसलपुरा	जागेश्वर महतो	9386107440	सरकारी	100 MT	
2		बारत	लक्ष्मी नारायण सिंह	9934482260	सरकारी	300MT	
3		सहवाजपुर	प्रमोद कुमार	9631881632	सरकारी	200 MT	
4		मेसकौर	रामानन्द यादव	9771670929	सरकारी	200MT	
5	नरहट	शेखपुरा	सत्येन्द्र सिंह	9939194374	सरकारी	300MT	
6		जमुआरा	अवध किशोर सिंह	8409073967	सरकारी	200MT	
7		सैदापुर	संजय कुमार	9801750487	सरकारी	200MT	
8		कोनीबर	कमलेश कुमार	8809993090	सरकारी	200MT	
9		बभनौर	विरेन्द्र कुमार	9572925792	सरकारी	200MT	
10		पुन्थर	सत्येन्द्र प्रसाद यादव	9661472916	सरकारी	200MT	
11		खनवाँ	सतीश सिंह	9931947659	सरकारी	300MT	
12	हिसुआ	बगोदर	लक्ष्मीकान्त सिंह	9631055067	सरकारी	200MT	
13		तुँगी	अंकित कुमार	9931182253	सरकारी	200MT	
14		चितरघटी	सिन्टु कुमार	8002221113	सरकारी	100MT	
15		सोनसा	राजकुमार प्रसाद सिंह	9973107930	सरकारी	200MT	
16		हदसा	बिपिन कुमार	9430057208	सरकारी	100MT	
17		दोना	सपन कुमार सिंह	8002613839	सरकारी	200MT	
18		धनवाँ	पप्पु कुमार सिंह	8757871921	सरकारी	200MT	
19	वारिसलीगंज	कोचगाँव	कामदेव सिंह	9973618287	सरकारी	200MT	
20		बाघीबरडीहा	भीतिल प्रसाद	9973082796	सरकारी	100MT	
21		कुटरी	भौल कुमारी	9955781422	सरकारी	100MT	
22		हाजीपुर	सुन्दर प्रसाद	9798419293	सरकारी	300MT	

23		दोसुत	अरुण कुमार	9199507585	सरकारी	300MT	
24		साहेपुर	चितरंजन कुमार	8757270565	समुदाय भवन	200MT	
25		मोसमा	मनोज प्रसाद	9334452174	सरकारी	300MT	
26		अपसढ़	सागर सिह	9939603411	समुदाय भवन	200MT	
27		सौर	मुनेश्वर प्रसाद सिह	8541879715	सरकारी	100MT	
28		बरनावाँ	नवल किशोर सिंह	9430411566	समुदाय भवन	100MT	
29		ठेरा	मनोज सिंह	7079280600	सरकारी	200MT	
30	सिरदला	अबदुल	इन्द्रदेव कुमार	9006635211	सरकारी	100MT	
31		चौकिया	नागेन्द्र प्रसाद	9631405453	सरकारी	300MT	
32		लौन्द	सुरेश प्रसाद	9955534807	सरकारी	200MT	
33		राजन	विनोद कुमार	8294889278	सरकारी	200MT	
34		बड़गांव	मनोज सिंह	9931215731	सरकारी	200MT	
35		खनपुरा	संतोश कुमार	9939047061	सरकारी	200MT	
36		सिरदला व्यापार मंडल	जयराम प्रसाद	8002958231	सरकारी	500MT	
37	रजौली	लेंगुरा	पवन कुमार	8809955901	सरकारी	200MT	
38		रजौली पूर्वी	अनिल प्रसाद सिंह	9934610325	सरकारी	200MT	
39		फरक्का बुजुर्ग	ध्रुव कुमार त्रिवेदी	9934434375	सरकारी	200MT	
40	पकरीबरावां	पकरीबरावाँ दक्षिणी	धर्मचन्द्र प्रसाद	9771033903	सरकारी	300MT	
41		धमौल	रामविलास यादव	8757006624	सरकारी	200MT	
42		बेलखुन्डा	रोहन महतों	8651337833	सरकारी	300MT	
43		कोनन्दपुर	ज्वाला प्रसाद	9006615464	सरकारी	300MT	
44		धेवधा	रंवीन्द्र सिंह	9771357913	सरकारी	300MT	
45		एरूरी	उमाकान्त सिंह	9199193971	सरकारी	200MT	
46		बुधौधी	सुबोध कुमार	9955709135	सरकारी	300MT	
47		पकरीवरावाँ व्यापार मंडल	कैलाश सिंह	9934610277	सरकारी	500MT	
48	नवादा	महुली	कृश्ण मनी कुमारी	9199717282	सरकारी	200MT	
49		कादीरगंज	विश्णुदेव प्रसाद	9199220700	सरकारी	200MT	
50		ऑती	विवेकानन्द भार्मा	9939228508	सरकारी	200MT	
51		खरॉठ	रंजीत कुमार	9771508559	सरकारी	200MT	
52		जमुआमा पटवासराय	धीरेन्द्र यादव	9709808414	सरकारी	200MT	

53	रोह	[illegible]	[illegible] सिंह	9762664773	[illegible]	100MT	
54		[illegible]	[illegible] सिंह	9631610857	सरकारी	300MT	
55		[illegible]	पंकज कुमार	7050460121	सरकारी	200MT	
56		मरूई	दवन्द्र प्रसाद सिह	9934925191	सरकारी	300MT	
57		ओहारी	विनय कुमार	9973273999	सरकारी	300MT	
58		नजरडीह	आशा देवी	9934732022	सरकारी	200MT	
59		छनौन	सुबोध प्रसाद सिंह	9931947997	सरकारी	300MT	
60		भिखमपुर	धर्मेन्द्र कुमार	9934402377	सरकारी	300MT	
61	अकबरपुर	सकरपुरा	निरंजन कुमार	7250867643	सरकारी	200MT	
62		बड़ैल	मदन कुमार सिंह	9199012563	सरकारी	200MT	
63		फतेहपुर	रंजीत कुमार	8002958231	सरकारी	1200MT	
64		गोविन्द बिगहा	लोकेश कुमार सिंह	9631190059	सरकारी	100MT	
65		पैजुना	मंटु कुमार	9572695899	सरकारी	100MT	
66		माखर	उमेश सिंह	9931615857	निजी	100MT	
67		पॉती	विजय कुमार	9939045942	सरकारी	200MT	
68		पचगॉवा	संतोश कुमार	7739078789	सरकारी	1000MT	
69		अकबरपुर व्यापार मंडल	रंजीत कुमार	8002958231	सरकारी	1500MT	
70	नारदीगंज	पेश	उपेन्द्र सिंह	9771945757	सरकारी	200MT	
71		परमा	योगेन्द्र प्रसाद	9431831167	सरकारी	200MT	
72		मसोढ़ा	सिद्धेश्वर यादव	9199630336	सरकारी	200MT	
73		ओड़ो	पंकज कुमार	9939201004	सरकारी	200MT	
74		कोसला	निलम देवी	7549872702	सरकारी	100MT	
75		कहुआरा	श्रवण कुमार	9006166640	सरकारी	200MT	
76		नारदीगंज	बिपिन कुमार	9931013958	सरकारी	200MT	
77	कौआकोल	देवनगढ	उपेन्द्र कुमार	8757037142	सरकारी	200MT	
78		पहाड़पुर	केशव यादव	9955801370	सरकारी	200MT	
79		पाली	रामाश्रय सिंह	9572838426	सरकारी	200MT	
80		खड़सारी	सुनील कुमार	9576329348	सरकारी	200MT	
81		दरावाँ	रजनीश कुमार	9931233353	सरकारी	200MT	
82		नावाडीह	अभय कुमार	9771863732	सरकारी	200MT	
83		केवाली	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	9955801208	सरकारी	200MT	

84		नंदिला	नरेन्द्र कुमार	9934414303	सरकारी	200MT	
85		सरौनी	नवल किशोर पासवान	9199502251	सरकारी	200MT	
86		सेखोदेवरा	सुरेश महता	9955319182	सरकारी	200MT	
87		कौआकोल	सुनील कुमार	9939655962	सरकारी	200MT	
88		पाण्डेयगंगौट	अभय कुमार	9631323230	सरकारी	200MT	
89		लालपुर	प्रकाश तुरिया	9631458274	सरकारी	200MT	
90		महुडर	अरविन्द कुमार	9801489083	सरकारी	200MT	
91	गोविन्दपुर	बुधवारा	पंकज कुमार	9934676368	सरकारी	200MT	
92		गोविन्दपुर	तुलसी प्रसाद यादव	8294133086	सरकारी	100MT	
93		भवनपुर	चन्द्रिका प्रसाद	9934440415	सरकारी	200MT	
94		बकसोती	कृष्ण प्रसाद यादव	9661190811	सरकारी	200MT	

जिला सहकारिता पदाधिकारी,
नवादा ।